अध्याय-I
प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सी ए जी) का यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्यौगिकी मंत्रालय (एम ओ सी एण्ड आई टी), भारत सरकार एवं उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) से सम्बन्धित वित्तीय लेन–देनों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले प्रकरणों से सम्बन्धित है।

यह अध्याय विभागों और सम्बन्धित संस्थाओं का खाका प्रदान करने के साथ लेखापरीक्षा की योजना और सीमा के साथ संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ओ सी एण्ड आई टी) के अधीन विभागों के व्यय का संक्षिप्त विश्लेषण प्रदान करता है। अध्याय II से V मंत्रालय के अधीन दूरसंचार विभाग (डी ओ टी), डाक विभाग (डी ओ पी), इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी ई आई टी वाई) और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) के अनुपालन लेखापरीक्षा से प्राप्त वर्तमान निष्कर्षों/पर्यवेक्षणों से सम्बन्धित हैं।

1.2 लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार

सी ए जी द्वारा लेखापरीक्षा एवं संसद को प्रतिवेदित करने हेतु प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 से 151 तथा सी ए जी के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 से लिया गया है। सी ए जी भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा सीएजी के (डी पी सी) अधिनियम[1] की धारा 13[2] और 17[3] तथा पीएसयू के लिये धारा 19 के तहत करता है।

1.3 लेखापरीक्षा की योजना और संचालन

सी ए जी द्वारा प्रख्यापित लेखापरीक्षा मानकों और निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिपादित सिद्धान्तों और व्यवहारों के अनुरुप लेखापरीक्षा आयोजित की जाती है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया मंत्रालय/विभागों के जोखिम के आकलन के साथ प्रारम्भ होती है। इस जोखिम मूल्याँकन के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति और सीमा निर्धारित की जाती है।

1.4 लेखापरीक्षित इकाईयों की रुपरेखा

1.4.1 दूरसंचार विभाग (डी ओ टी)

दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) नीति निर्माण, निष्पादन समीक्षा, अनुश्रवण, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और दूरसंचार क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए जिम्मेदार[4] है। विभाग आवृत्ति का आवंटन भी करता है और अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के साथ निकट समन्वय से रेडियो संचार का प्रबन्धन करता है। यह देश के सभी

1 नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971

2 (i) भारत के समेकित निधि से सभी व्यय (ii) आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा से सम्बन्धित सभी लेन–देन तथा (iii) सभी व्यापार, निर्माण, लाभ व हानि लेखे, तुलनापत्र तथा अन्य सहायक लेखों की लेखापरीक्षा

3 संघ अथवा राज्य के किसी विभाग अथवा कार्यालय में रखे गये भण्डार एवं स्टॉक के लेखों की लेखापरीक्षा एवं प्रतिवेदन

4 डीओटी का वर्ष 2014-15 का वार्षिक प्रतिवेदन

उपभोगकर्ताओं के बेतार नियामक उपायों को लागू करने और बेतार संचरण की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार है। विभाग विभिन्न शहरों और दूरसंचार सर्किलों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने हेतु ऑपरेटरों को लाइसेन्स प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार है।

➢ व्यय विश्लेषण

डी ओ टी के 2013-14 और पिछले चार वर्षों के दौरान हुए व्यय की तुलनात्मक स्थिति नीचे तालिका–1 में दी गई है:

तालिका-1
डी ओ टी के राजस्व और व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व	15879.49	120547.63	17400.92	18902.00	40113.76
व्यय	11127.30	10370.26	8692.16	9273.38	10835.57

(स्रोतः डी ओ टी के विनियोग एवं वित्तीय लेखे)

विभाग के राजस्व के प्रमुख स्रोत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से प्राप्त लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार हैं। पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्राप्त लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभारों का विवरण नीचे तालिका-2 में दिया गया है:

तालिका -2
प्राप्त लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभारों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
लाइसेंस शुल्क	9778.52	10286.43	11790.93	11456.48	14628.47
स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार	3809.54	3432.47	5192.30	5679.19	6883.67
नीलामी राजस्व	–	106264.73	–	1722.24	18267.18

(स्रोतः 2014-15 के लिए डीओटी का वार्षिक प्रतिवेदन)

दूरसंचार विभाग द्वारा अर्जित राजस्व के एक विश्लेषण ने दर्शाया कि 2010-11 तथा 2013-14 के दौरान, विभाग की आय में वृद्धि इन वर्षों में आयोजित स्पेक्ट्रम की नीलामी से हुई प्राप्ति के कारण हुई। इसके अतिरिक्त, दूरसंचार विभाग का व्यय विगत तीन वर्षों के दौरान लगातार बढ़ा है।

➢ दूरसंचार क्षेत्र की संक्षिप्त रुपरेखा

दूरसंचार, देश के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अपेक्षित आर्थिक वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों में से एक के रुप में विकसित हुआ है। दूरसंचार क्षेत्र ने पिछले दशक के दौरान एक अभूतपूर्व वृद्धि देखी। 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान, टेलीफोन ग्राहकों की संख्या 621.28 मिलियन से बढ़कर 933 मिलियन हुई। दूरसंचार क्षेत्र में वर्ष 2009-10 से 2013-14 के लिए समग्र वृद्धि की स्थिति नीचे तालिका-3 में दी गई है।

तालिका-3
दूरसंचार क्षेत्र में वृद्धि की स्थिति

वर्ष	उपभोक्ता (मिलियन में)					टेलीडेंसिटी (प्रतिशत में)		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	वायरलाइन	वायरलेस	समग्र	ग्रामीण	शहरी
2009-10	621.28	200.81	420.47	36.96	584.32	52.74	24.29	119.73
2010-11	846.32	282.24	564.08	34.73	811.59	70.89	33.79	157.32
2011-12	951.34	330.82	620.52	32.17	919.17	78.66	39.22	169.55
2012-13	898.02	349.22	548.80	30.21	867.81	73.32	41.02	146.96
2013-14	933.00	377.74	555.26	28.49	904.51	75.23	43.96	145.78

(स्रोतः ट्राई के वार्षिक प्रतिवेदन 2009-10 से 2013-14)

पिछले पाँच वर्षों के दौरान उपभोक्ता आधार के संदर्भ में दूरसंचार क्षेत्र की वृद्धि नीचे दिये गये ग्राफ में दर्शायी गयी है:

उपभोक्ता आधार में वृद्धि–निजी बनाम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम उपभोक्ताओ' की सँख्या (मिलियन मे)

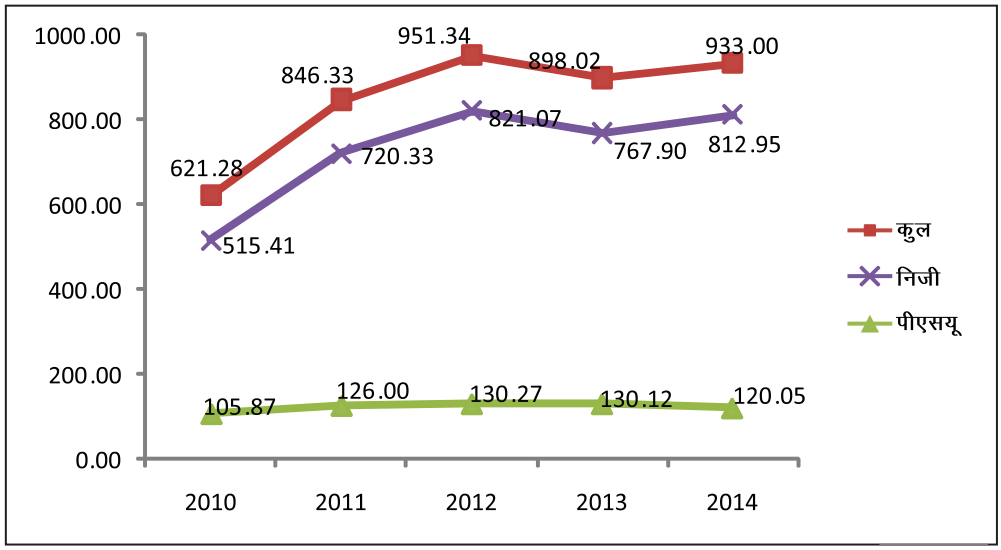

(स्रोतः ट्राई के वार्षिक प्रतिवेदन)

जैसा कि उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि निजी दूरसंचार कंपनियों के उपभोक्ता आधार, सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों की तुलना में जो पिछले तीन वर्षों के दौरान गिरावट का रूख दर्शा रही है, महत्वपूर्ण है।

➢ क्षेत्र का नियामक ढाँचा

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई)

ट्राई की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा 20 फारवरी 1997 को दूरसंचार सेवाओं को दरों के निर्धारण/संशोधन सहित सेवाओं को विनियमित करने, जो पूर्व में केन्द्र सरकार में निहित थे, के लिये की गई थी। ट्राई का मुख्य उद्धेश्य एक ऐसा वातावरण तैयार करना था जो निष्पक्ष एवं पारदर्शी हो, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाला हो, सभी सेवा प्रदाताओं के लिए एक समान अवसर प्रोत्साहित करे, उपभोक्ताओं के

हितो का संरक्षण करे तथा सभी को प्रौद्योगिकी लाभ दिलाने वाला हो। ट्राई अधिनियम के तहत ट्राई को अधिकार दिया गया है

- लाईसेंस के नियमों व शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करना;
- सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाले सेवा गुणवत्ता का मानक निर्धारित करना तथा सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना;
- टैरिफ पॉलिसी निर्धारित करना एवं नये सेवा प्रदाताओं के प्रवेश हेतु शर्तो तथा सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस के लिये नियम व शर्तों की अनुशंसा करना;
- टैरिफ पॉलिसी की मॉनिटरिंग, वाणिज्यिक तथा अंतःसंयोजन के तकनीकी पहलुओं से संबंधित मामलों पर विचार व निर्णय;
- काल राउटिंग एवं कॉल हैंडओवर के सिद्धांत;
- जनता के लिये विभिन्न सेवा प्रदाताओं में स्वतन्त्र चुनाव एवं समान पहुँच;
- बाजार विकास तथा विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिये विविध नेटवर्क ढांचों के कारण उत्पन्न टकरावों का समाधान;
- विद्यमान नेटवर्क व प्रणालियों को और उन्नत करने की आवश्यकता; तथा
- सेवा प्रदाताओं में पारस्परिक विचार विमर्श तथा उपभोक्ता संगठनों के साथ प्राधिकरण के पारस्परिक विचार विमर्श के लिए फोरम विकसित करना;

सरकार के दिनांक 9 जनवरी 2004 की अधिसूचना द्वारा प्रसारण सेवाओं एवं केबल सेवाओं को दूरसंचार सेवा मानते हुए इन क्षेत्रों को ट्राई की परिधि में लाया गया। ट्राई के लिए भी अपेक्षित है कि वह या तो स्वयं या फिर लाइसेंस प्रदाता अर्थात दूरसंचार विभाग, संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अथवा सूचना व प्रसारण मंत्रालय से प्रसारण एवं केबल सेवाओं के संबंध में संदर्भ प्राप्त होने पर अनुशंसाये दे।

दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडी सैट)

टी डी सैट की स्थापना एक लाइसेंस प्रदाता और एक लाइसेंस धारक के मध्य, दो या अधिक सेवा प्रदाताओं के मध्य, एक सेवा प्रदाता और उपभोक्ताओं के समूह के मध्य किसी भी विवाद का निर्णय करने के लिए, ट्राई के किसी निर्देश, निर्णय या आदेश के विरुद्ध सुनवाई और अपील के निपटान के लिए ट्राई अधिनियम में 24 जनवरी 2000 से प्रभावी एक संशोधन के जरिए हुई थी।

➢ महत्वपूर्ण डी ओ टी इकाईयाँ

दूरसंचार विभाग में, दूरसंचार प्रवर्तन एवं संसाधन अनुश्रवण (टर्म) प्रकोष्ठ, नियंत्रक संचार लेखा (सी सी ए), वायरलेस प्लानिंग एण्ड कोऑर्डीनेशन विंग (डब्ल्यू पी सी), दूरसंचार अभियंत्रिकी केन्द्र (टी ई सी), राष्ट्रीय दूरसंचार नीतिगत अनुसंधान संस्थान (एजन टी आई), राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान (एन आई सी एफ) तथा टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी डॉट) जो कि अनुसंधान व विकास (आर एण्ड डी) इकाई है, शामिल हैं।

➢ सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू एस ओ फण्ड)

ग्रामीण दूरभाष को प्रोत्साहन देने के लिए, भारत सरकार ने संसद के एक अधिनियम द्वारा 01 अप्रैल 2002 से प्रभावी एक सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू एस ओ फण्ड) का गठन किया। यू एस ओ की आवश्यकताओं हेतु संसाधन सार्वभौमिक अभिगम उद्गृहण (यू ए एल), जो कि विभिन्न लाइसेंसों के तहत सभी संचालकों द्वारा कमाये गये राजस्व का वर्तमान में एक निश्चित प्रतिशत है, से जुटाए जाने थे। भारतीय तार अधिनियम 2003 के पैरा 9बी के अनुसार, यू एस ओ फण्ड के पक्ष में प्राप्त धन राशि को पहले भारत की समेकित निधि में जमा किया जाएगा, और केन्द्र सरकार, यदि संसद इस निमित्त कानून द्वारा विनियोग से ऐसा प्रदान करती है, समय–समय पर ऐसी आय को निधि में सार्वभौमिक सेवा दायित्व को विशेष रुप से पूरा करने के उपयोग हेतु जमा कर सकती है। तदनुसार 31 मार्च 2014 तक यू एस ओ उद्गृहण के रूप में ₹ 58,579.35 करोड़ की राशि दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) द्वारा एकत्र की गई तथा जिसे भारत की समेकित निधि में जमा किया गया है। विनियोग द्वारा (डी ओ टी) इस राशि में से मात्र ₹ 24,896.49 करोड़, प्राप्त हुए तथा 31 मार्च 2014 तक यू एस ओ फण्ड में जमा किये गये। जिसमें वर्ष 2002-06 के दौरान लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभार के रुप में भारत संचार निगम लिमिटेड को यू एस ओ एफ के अंतर्गत ग्रामीण कर्तव्यों को पूर्ण करने हेतु 2008-09 में प्रतिपूर्ति हेतु समायोजित किये गये ₹ 6,948.64 करोड़ भी सम्मिलित हैं।

1.4.2 डाक विभाग (डी ओ पी)

भारतीय डाक नेटवर्क 1.54 लाख से अधिक डाकघरों के साथ विश्व में सबसे बड़ा है तथा यह देश के दूरस्थ स्थानों तक फैला है। जबकि विभाग की मुख्य गतिविधि डाक का प्रसंस्करण, प्रेषण एवं वितरण है, वहीं विभाग द्वारा विविध प्रकार की खुदरा सेवाएं जिनमें धन प्रेषण, बैंकिग के साथ साथ बीमा भी शामिल है, प्रदान की जाती हैं। यह सैन्य एवं रेलवे पेन्शन भोगियों को पेन्शन एवं पारिवारिक पेन्शन के संवितरण, कोयला खदानों के कर्मचरियों के परिवारों एवं कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों के परिवारों की पारिवारिक पेन्शन के संवितरण में भी संलिप्त है। अभी हाल ही में, डाक विभाग ने सामाजिक लाभ के भुगतानों जैसे मनरेगा व सामाजिक सुरक्षा पेन्शन योजनाओं की जिम्मेदारी ली है।

वित्तीय प्रदर्शन

डाक विभाग के वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक की राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय को नीचे तालिका-4 में दर्शाया गया है:

तालिका-4

डी ओ पी की राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियाँ	वसूलियाँ	राजस्व व्यय	घाटा (2)+(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2009-10	6266.70	438.94	13346.94	6641.30
2010-11	6962.33	485.72	13793.67	6345.62
2011-12	7899.35	458.64	14163.91	5805.92
2012-13	9366.50	688.77	15481.15	5425.88
2013-14	10730.42	593.19	16796.71	5473.10

(स्रोतः डी ओ पी के वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक के विनियोजन लेखे)

विभाग की कमाईयाँ "वसूलियों" एवं "राजस्व प्राप्तियों" के रुप में है।

2013-14 में डाक सेवाओं [5] पर ₹ 5,473.10 करोड़ का घाटा था। विभाग द्वारा के घाटे का मुख्य कारण एल टी सी पर अवकाश नकदीकरण, एम ए सी पी, वेतन में सामान्य वृद्धि, महँगाई भत्ते में वृद्धि, आउटर्सोसिंग एवं पेन्शन प्रभार इत्यादि के कारण कार्य व्यय में वृद्धि को ठहराया गया। 2009-10 से 2013-14 की अवधि की डाक सेवाओं में घाटे को तुलनात्मक स्थिति निम्नवत् है:

डाक सेवाओं पर घाटा

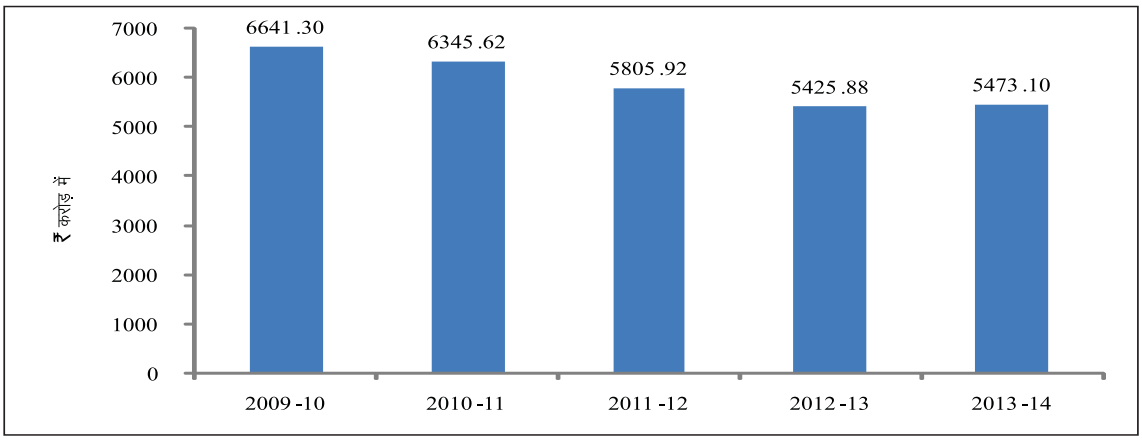

1.4.3 इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी ई आई टी वाई)

डी ई आई टी वाई, एम ओ सी एण्ड आई टी के अन्तर्गत एक विभाग है, जो कि इलेक्ट्रानिक्स एवं आई टी क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डी ई आई टी वाई की परिकल्पना, विकसित राष्ट्र एवं सशक्त समाज में संक्रमण हेतु इंजन के रूप में भारत का ई–विकास करना है।

भारतीय आई टी उद्योग भारत के जी डी पी, निर्यात व रोजगार में उल्लेखनीय रूप से योगदान कर रहा है। वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक भारतीय इलेक्ट्रानिक्स एवं आई टी–आई टी ई एस (सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं) उद्योग के उत्पादन एवं वृद्धि का खाका नीचे चार्ट में दिया गया है:

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आई टी उत्पादन

(₹ करोड़ में)

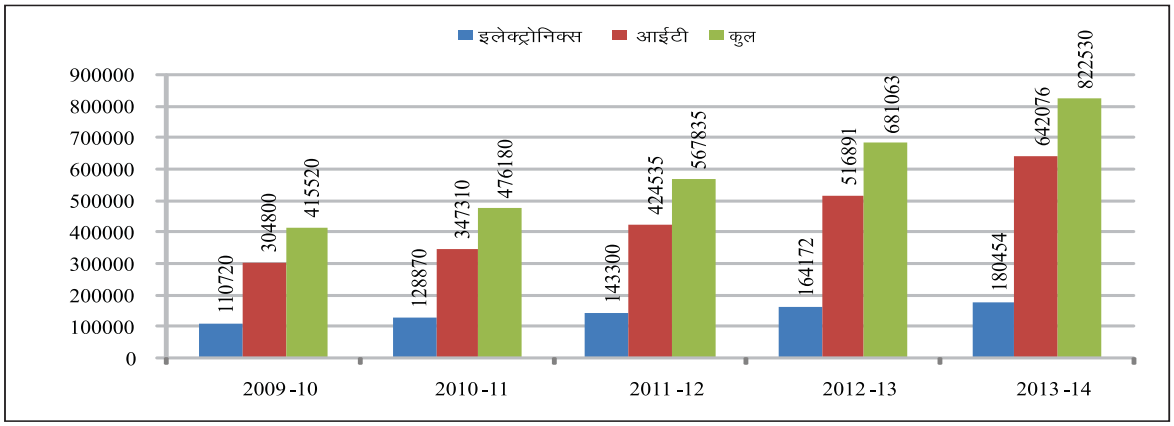

(स्रोतः डी ई आई टी वाई का वार्षिक प्रतिवेदन)

5 घाटे की गणना राजस्व प्राप्तियों एवं वसूलियों तथा राजस्व व्यय के बीच के अन्तर पर की गयी है यथा, {(₹ 10730.42 + ₹ 593.19) - ₹16796.71}

इलेक्ट्रानिक्स व आई टी–आई टी ई एस उद्योग की समग्र वृद्धि के लिये मुख्य कारण, जैसा विभाग द्वारा माना गया सॉफ्टवेयर तथा सेवाओं में प्रासंगिक रूप से उच्चतर वृद्धि है जो व्यापक रूप से निर्यात संचालित व इलेक्ट्रॉनिक व आई टी सेक्टर पर भी प्रभुत्व रखती हैं। विभाग द्वारा 2014-15 के दौरान इस उद्योग का कुल उत्पादन ₹ 9,33,550 करोड़ विचारित है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर व आई टी–आई टी ई एस का उत्पादन क्रमशः ₹ 1,90,366 करोड़ व ₹ 7,43,184 करोड़ था।

अपने कार्यों के निर्वहन हेतु डी ई आई टी वाई को भारत सरकार से अनुदान के रुप में बजटीय समर्थन प्रदान किया जाता है। 2009-10 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान डी ई आई टी वाई को प्राप्त हुए अनुदान के सापेक्ष किया गया व्यय, तालिका-5 में दिया गया है।

तालिका-5

डी ई आई टी वाई से संबंधित अनुदान के सापेक्ष व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान राशि	कुल व्यय
2009-10	2582	1697
2010-11	3719	3129
2011-12	3048	2074
2012-13	3051	1903
2013-14	3052	2166
कुल	15452	10969

(स्रोतः डी ई आई टी वाई के वर्ष 2009-10 *से* 2013-14 *के विनियोजन लेखे)*

डी ई आई टी वाई के अधीन पाँच सगठन[6] और सात स्वायत्त सोसायटी[7] के अतिरिक्त दो सम्बन्द्ध कार्यालय–मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय (एस टी क्यू सी) तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी) हैं।

मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय (एस टी क्यू सी)

वर्ष 1980 में स्थापित एस टी क्यू सी, अपने मूल्यवान ग्राहकों को अत्याधुनिक तकनीक आधारित गुणवत्ता आश्वासन सेवाएं प्रदान करने तथा आई टी क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करने के लिये डी ई आई टी वाई मैंडेट के साथ पंक्तिबद्ध होने के लिये, हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर दोनों क्षेत्रों हेतु एक अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त विश्वसनीय सेवा प्रदाता है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी)

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी), केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों, जिलों और अन्य सरकारी निकायों को आधारभूत नेटवर्क और ई–शासन की सुविधा प्रदान कर रहा है। यह केन्द्र और राज्य सरकारों के साथ निकट सहयोग में (अ) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं एवं केन्द्रीय

6 प्रमाणन प्राधिकारियों का नियंत्रक (सी सी ए), साइबर अपीलीय प्राधिकरण (सी ए टी), सेमीकन्डक्टर इन्टीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट–डिजाइन रजिस्ट्री, भारतीय कम्प्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (आई सी ई आर टी) और रजिस्ट्री में

7 कम्प्यूटर नेटवर्किंग में शिक्षण एवं शोध (ई आर एन ई टी), उच्च संगणना विकास केन्द्र (सी–डैक), इलेक्ट्रानिक्स प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र (सी–मैट), राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एन आई ई एल आई टी), प्रायोगिक सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रानिक्स अभियांत्रिकी एवं अनुसंधान सोसायटी (समीर), भारत के साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस टी पी आई) एवं इलेक्ट्रानिकी एवं कम्प्यूटर साफ्टवेयर निर्यात प्रोन्नति परिषद (ईएससी)

क्षेत्र योजनाओं, (ब) राज्य क्षेत्र एवं राज्य प्रायोजित परियोजनाओं, तथा (स) जिला प्रशासन प्रायोजित परियोजनाओं के क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) सेवाओं की वृहत् श्रंखला प्रदान करता है।

1.5 बजट और व्यय नियंत्रण

डी ओ टी, डी ओ पी तथा डी ई आई टी वाई के सम्बन्ध में 2013-14 के लिये विनियोजन लेखों का सारांश आगामी तालिका-6 में दिया गया है:

तालिका-6

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन तीन विभागों को दिये गये अनुदान (वोटेड एवं चार्ज्ड) तथा उनके द्वारा किये गये व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग	अनुदान/विनियोजन (अनुपूरक अनुदान सहित)	कुल व्यय	(-) बचत/ (+) आधिक्य
1.	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	3052.00	2166.27	(-) 885.73
2.	डाक विभाग	17310.37	17065.68	(-) 244.69
3.	दूरसंचार विभाग	15139.44	10835.57	(-) 4303.87

(स्रोतः 2013-14 के लिए विभागों के विनियोजन लेखे)